

[2024] 4 एससीआर 655: 2024 आईएनएससी 316

मुख्तार जैदी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2134/2024)

18 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उच्च न्यायालय ने भी धारा 190(1)(ख) सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेने में गलती की है, क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न केवल विरोध याचिका पर अवलम्ब लिया था, जिसका समर्थन परिवादी के हलफनामे से किया गया था, बल्कि उन गवाहों के हलफनामों पर भी अवलम्ब लिया था, जो परिवाद के तथ्यों का समर्थन करने के लिए विरोध याचिका के साथ दाखिल किए गए थे।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 190(1)(ख), धारा 200- प्राथमिकी दर्ज की गई- सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विवेचक ने पाया कि ऐसा कोई सबूत एकत्र नहीं किया जा सका जो प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर सके – शपथ पत्र के साथ विरोध याचिका दायर की गई – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, हालांकि आईपीसी की धारा 147, 342, 323, 307, 506 और सीआरपीसी की धारा 190 (1)(ख) के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़े – अपीलार्थी ने तर्क दिया कि एक बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी द्वारा विरोध याचिका के साथ प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त सामग्री पर भरोसा कर लिया, तो सीजेएम के लिए एकमात्र विकल्प था कि वह इसे सीआरपीसी की धारा 200 के तहत परिवाद के रूप में माने और सीआरपीसी के अध्याय XV में नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए तदनुसार आगे कार्यवाही करे – औचित्य:

अभिनिर्धारित किया: सीजेएम ने वास्तव में न केवल विरोध याचिका पर विचार किया था, बल्कि विरोध याचिका के समर्थन में दायर शपथ पत्र के साथ – साथ विरोध याचिका के साथ दायर गवाहों के चार हलफनामों पर भी विचार किया था – इस तरह के हलफनामों पर विचार करने पर सीजेएम का विचार था कि विवेचना एक निष्पक्ष विवेचना नहीं थी और इन हलफनामों ने संज्ञान लेने और आरोपी को समन करने के लिए एक प्रथमदृष्टया मामला बना दिया – वर्तमान मामले में चूंकि मजिस्ट्रेट ने पहले ही अपनी संतुष्टि दर्ज कर ली थी कि यह मामला संज्ञान लेने योग्य है और अभियुक्त को समन करने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था – तदनुसार, उच्च न्यायालय और सीजेएम द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को भी अपास्त किया जाता है। [पैरा 7 और 11]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उद्धृत केस लॉ

विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ और अन्य [2019] 8 एससीआर 1114: (2019) 8 एससीसी 27-पर अवलम्ब लिया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

एफआईआर.; जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट; विरोध याचिका; गवाह; अतिरिक्त सामग्री; संज्ञान; अभियुक्त को तलब करना; मजिस्ट्रेट को परिवाद।

मामला निम्न से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 2134/2024

ए482 संख्या 15273/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 24.08.2021 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण विनोद प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय कुमार श्रीवास्तव, सुश्री ज्योति तिवारी, राजेश पांडे, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण शशांक शेखर सिंह, शांतनु सिंह, शेखर प्रीत झा, एस. एस. हैदर, सुश्री प्रीति कुमारी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ,

अनुमति प्रदान की गयी।

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.08.2021 के आदेश की शुद्धता को चुनौती दी गयी है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973¹ की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट², अलीगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860³ की धारा 147, 342, 323, 307, 506 के तहत वाद संख्या 129/2020 थाना सिविल लाइंस, जिला अलीगढ़ में दिनांक 08.03.2021 के समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा 01.11.2021 दिनांकित एक आदेश पारित किया गया है जिसमें 24.08.2021 दिनांकित आदेश में उल्लिखित वाद संख्या को वाद संख्या 5727/2021 के रूप में सही किया गया था।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उपरोक्त विवरणों वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट⁴ दर्ज कराई गई, जिसके बाद इसकी विवेचना की गई और विवेचना के बाद धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार विवेचना अधिकारी ने पाया कि ऐसा कोई सबूत एकत्र नहीं किया जा सका जो प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर सके। उक्त रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को प्रस्तुत की गई थी जिसके बाद सूचना देने वाले को नोटिस जारी किए गए थे। सूचनादाता

1 सीआरपीसी

2 सीजेएम

3 आईपीसी

4 एफआईआर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने शपथ पत्र के साथ एक विरोध याचिका दायर की ताकि यह दिखाया जा सके कि विवेचना अधिकारी द्वारा की गई जांच एक निष्पक्ष जांच नहीं थी। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन में बैठकर केस डायरी पूरी कर ली थी।

4. सीजेएम ने दिनांक 08.03.2021 के आदेश द्वारा धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 147, 342, 323, 307, 506 और सीआरपीसी की धारा 190(1)(ख) के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़े और यह भी निर्देश दिया कि मामला राज्य के वाद(स्टेट केस) के रूप में जारी रहेगा। तदनुसार, उन्होंने आरोपी को तलब किया और 30 अप्रैल, 2021 की तारीख तय की। संज्ञान आदेश और वर्तमान अपीलकर्ता के समन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी थी जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 15273/2021 के रूप में दर्ज हुआ। उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई।

5. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद प्रसाद ने कहा कि सीजेएम और उच्च न्यायालय ने भी धारा 190 (1)(ख) सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेकर गलती की क्योंकि सीजेएम ने न केवल विरोध याचिका पर अवलम्ब लिया था जो परिवादी के शपथ पत्र द्वारा समर्थित था बल्कि गवाहों के शपथ पत्रों पर भी अवलम्ब लिया जो परिवाद के तथ्यों का समर्थन करने के लिए विरोध याचिका के साथ दायर किए गए थे। यह कहा गया था कि एक बार जब सीजेएम ने विरोध याचिका के साथ परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त सामग्री पर अवलम्ब लिया, तो सीजेएम के लिए एकमात्र विकल्प था कि वह इसे धारा 200 सीआरपीसी के तहत परिवाद के रूप में माने और तदनुसार आगे कार्यवाही करे। उक्त मामले को राज्य के मामले के रूप में जारी नहीं रखा जा सकता था

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और इसे एक निजी परिवाद के रूप में माना जाना चाहिए था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सीजेएम के लिए यह विकल्प खुला था कि वह सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत बंद करने के लिए प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर दे और केस डायरी में मौजूद सामग्री (वास्तव में, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री) पर भरोसा करते हुए संज्ञान ले सकता था, लेकिन एक बार जब अतिरिक्त सबूतों पर भरोसा किया जा रहा था, जो विरोध याचिका के साथ दायर किया गया था, तो एकमात्र विकल्प यह था कि इसे एक निजी परिवाद के रूप में माना जाए और सीआरपीसी के अध्याय XV में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सीआरपीसी की धारा 190(1)(क) के तहत संज्ञान लिया जाए।

6. दूसरी ओर, राज्य और परिवादी- प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी कहा गया था कि सीजेएम ने विरोध याचिका के साथ हलफनामे के रूप में दायर किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार नहीं किया और केवल केस डायरी में निहित विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर भरोसा किया था और उसी के आधार पर सीजेएम द्वारा पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करने और संज्ञान लेने के लिए दर्ज की गई संतुष्टि उसके अधिकार क्षेत्र में थी और ऐसा संज्ञान धारा 190 (1)(ख) सीआरपीसी के अन्तर्गत आएगा। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया था कि आक्षेपित आदेश किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

7. हमने सीजेएम द्वारा संज्ञान लेते हुए और पुलिस को तलब करते हुए पारित किए गए दिनांक 24.08.2021 के आदेश की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमने पाया है कि सीजेएम ने वास्तव में न केवल विरोध याचिका पर विचार किया था, बल्कि विरोध याचिका के समर्थन में दायर शपथ पत्र के साथ –साथ विरोध याचिका के साथ दाखिल गवाहों के चार हलफनामों पर भी विचार किया था। इस तरह के हलफनामों पर विचार करने के आधार पर सीजेएम का विचार था कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विवेचना एक निष्पक्ष विवेचना नहीं थी और इन हलफनामों से संज्ञान लेने और आरोपी को तलब करने के लिए प्रथमदृष्टया एक मामला बनता था।

8. एक बार जब हम इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार किए बिना इस बात पर विचार कर लेते हैं कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 के तहत कैसे आगे बढ़ेगा। जब एक बार विवेचना अधिकारी ने धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत समापन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, तो हम कानूनी मुद्दे पर संक्षिप्त रूप से विचार कर सकते हैं और हाल के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख कर सकते हैं। इस संबंध में, सीआरपीसी की धारा 190(1)(क) और (ख) को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान—

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट और उप-धारा (2) के तहत इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है—

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर,

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर;...”

9. विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ और अन्य⁵ के मामले में, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस न्यायालय के पिछले निर्णयों पर अवलम्ब लेते हुए कानूनी स्थिति निर्धारित की। उक्त मामले में तथ्य काफी हद तक वर्तमान मामले के समान थे जहां विरोध याचिका के साथ हलफनामे दाखिल किए गए थे। परिणाम यह है कि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट को विरोध याचिका को एक परिवाद

5 (2019) 8 एससीसी 27

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के रूप में मानना चाहिए था और सीआरपीसी के अध्याय XV के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। विष्णु कुमार तिवारी (सुप्रा) के मामले में उपरोक्त पहलू से संबंधित प्रासंगिक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ 42 से 46 हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“42. इस मामले के तथ्यों में, विरोध याचिका में निहित आरोपों की प्रकृति और उन अनुलग्नकों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें अनिवार्य रूप से शपथ पत्र शामिल थे, यदि मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के आधार पर आश्वस्त था, तो संहिता की धारा 161 के तहत बयान कि कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है, निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट को विरोध याचिका को परिवाद के रूप में मानते हुए संज्ञान लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। यह तथ्य कि विरोध याचिका को एक परिवाद के रूप में मानने के लिए किसी मामले में उनका अधिकार क्षेत्र हो सकता है, एक अलग मामला है। निसन्देह, यदि वह विरोध याचिका को एक परिवाद के रूप में मानता है, तो उसे संहिता की धारा 200 और 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा यदि धारा 202 भी मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करती है। दूसरे शब्दों में, अनिवार्य रूप से, परिवादी और उसके गवाहों का परीक्षण करना होगा। निस्संदेह, विरोध याचिका में परिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर, यह किसी विशेष मामले में अपनी अंतर्निहित प्रकृति और अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्षों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह भरोसा करने योग्य हो सकता है। अर्थात्, यदि सामग्री ऐसी है कि वह अदालत को विवेचक द्वारा दिए गए निष्कर्षों से असहमत होने के लिए राजी करती है, तो संहिता की धारा 190 (1)(ख) के तहत संज्ञान लिया जा सकता है, जिसके लिए संहिता की धारा 200 के तहत गवाहों का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चूंकि मजिस्ट्रेट को विरोध याचिका को परिवाद के रूप में मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, इसलिए परिवादी के पास उपचार होगा कि वह एक नया परिवाद दाखिल करे और मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 200 या संहिता की धारा 202 सपठित धारा 200 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के लिए आमंत्रित करे। इसलिए, हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों में, हम उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं कर सकते।

43. यह सच है कि कानून सूचना देने वाले/परिवादी को नोटिस देना अनिवार्य करता है जहां मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने पर विचार करता है। नोटिस मिलने पर, सूचना देने वाला अंतिम रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियों को अदालत को संबोधित कर सकता है। यह वह आमतौर पर विरोध याचिका के रूप में करता है। महाबीर प्रसाद अग्रवाल बनाम राज्य [महाबीर प्रसाद अग्रवाल बनाम राज्य, 1957 एससीसी ऑनलाइन ओडि 5:एआईआर 1958 ओडि 11] में, उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि एक विरोध याचिका एक परिवाद की प्रकृति में है और इसकी जांच दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVI के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। हालाँकि, हमने यह भी देखा कि कासिम बनाम राज्य [कासिम बनाम राज्य, 1984 एससीसी ऑनलाइन ऑल 260:1984 सीआरआई एलजे 1677] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (कासिम वाद [कासिम बनाम राज्य, 1984 एससीसी ऑनलाइन ऑल 260: 1984 सीआरआई एलजे 1677], एससीसी ऑनलाइन ऑल पैरा 6)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"6. ... अभिनंदन झा [अभिनंदन झा बनाम दिनेश मिश्रा, एआईआर 1968 एससी 117: 1968 सीआरआई एलजे 97: (1967) 3 एससीआर 668] में भी यह कहा गया कि "यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका को परिवाद के रूप में मानने का विकल्प चुना है या नहीं।" इस टिप्पणी का यह अर्थ नहीं होगा कि प्रत्येक विरोध याचिका को अनिवार्य रूप से एक परिवाद के रूप में माना जाना चाहिए, चाहे वह परिवाद की शर्तों को पूरा करती हो या नहीं। एक निजी परिवाद में परीक्षा किए जाने वाले गवाहों की पूरी सूची होनी चाहिए। आगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत परिवादी का परीक्षण किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को एक परिवाद के रूप में नहीं मानता है, तो उसके दिमाग में विरोध याचिका परिवाद की सभी शर्तों को पूरा नहीं करती है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि मामला एक परिवाद का मामला बन गया है। वास्तव में, अधिकांश मामलों में जब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को केवल इस बात पर विचार करना होता है कि क्या केस डायरी की सामग्री पर अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है या क्या केस डायरी संज्ञान लेने के लिए प्रथमदृष्टया मामले प्रकट करती है। ऐसी स्थिति में विरोध याचिका केवल मामले की डायरी में दी गई सामग्री की ओर मजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करने और मजिस्ट्रेट द्वारा सावधानीपूर्वक जांच और दिमाग का प्रयोग करने के उद्देश्य को पूरा करती है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि केवल एक विरोध याचिका होने के कारण मामला परिवाद का मामला बन जाएगा।"

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

44. हम यह भी देख सकते हैं कि वीरप्पा बनाम भीमरेडुप्पा [वीरप्पा बनाम भीमरेडुप्पा, 2001 एससीसी ऑनलाइन सीएआर 447:2002 सीआरआई एलजे 2150] में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: (एससीसी ऑनलाइन सीएआर पैरा 9)

"9. उपरोक्त से, जो स्थिति निकलती है वह यह है: जहां शुरू में परिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद दर्ज नहीं की है, लेकिन केवल पुलिस से संपर्क किया है और जहां पुलिस ने जांच के बाद 'बी' रिपोर्ट दाखिल की है, अगर शिकायतकर्ता विरोध करना चाहता है, तो वह मजिस्ट्रेट को परिवाद पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1)(क) के तहत संज्ञान लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यदि ऐसा होना था, तो विरोध याचिका जिसे वह दायर करता है, उसे सीआरपीसी की धारा 2(घ) में परिभाषित परिवाद की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और इसमें ऐसे तथ्य होने चाहिए जो अपराध का गठन करते हैं, जिसके लिए विद्वान मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (क) के तहत संज्ञान ले रहा है। इसके बजाय, यदि इसे केवल उन सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किए बिना जो एक साधारण परिवाद में होती है, केवल एक विरोध याचिका के रूप में किया जाता है, तो इसे सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कार्यवाही के उद्देश्य से परिवाद के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

45. संहिता की धारा 2(घ) में "परिवाद" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. (घ) **"परिवाद"** का अर्थ है इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई आरोप कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, ने अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण—किसी मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई एक रिपोर्ट जो विवेचना के बाद, एक गैर-संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, उसे परिवाद माना जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट दी जाती है, उसे परिवादी माना जाएगा।”

46. यदि कोई विरोध याचिका किसी परिवाद की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को एक परिवाद के रूप में मान सकता है और संहिता की धारा 202 सपठित धारा 200 के तहत अपेक्षित व्यवहार कर सकता है। इस मामले में, वास्तव में, विरोध याचिका में गवाहों की कोई सूची नहीं है। विरोध याचिका में प्रार्थना अंतिम रिपोर्ट को अपास्त करने और अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ आवेदन की अनुमति देने की है। यद्यपि हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि प्रपत्र पूरी तरह से इस प्रश्न का निर्णायक होना चाहिए कि क्या यह एक परिवाद के समान है या एक परिवाद के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदायी है, हम यह सोचेंगे कि अनिवार्य रूप से, इस मामले में विरोध याचिका, अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ दूसरे प्रत्यर्थी की आपत्तियों का सारांश है।”

10. इस न्यायालय की उपरोक्त राय के परिशीलन से यह भी परिलक्षित होता है कि मजिस्ट्रेट को अन्य सभी सामग्री के साथ विरोध याचिका को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता थी जो इसके समर्थन में दायर हुई हो सकती है। उस स्थिति में परिवादी को नया परिवाद दर्ज करने की स्वतंत्रता होगी। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत परिवादी का याचिका दायर करने का अधिकार छीन नहीं लिया जाता है, भले ही संबंधित मजिस्ट्रेट यह निर्देश न दे कि ऐसी विरोध याचिका को परिवाद के रूप में माना जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. वर्तमान मामले में, चूंकि मजिस्ट्रेट ने पहले ही अपना संतोष दर्ज कर लिया था कि यह संज्ञान लेने योग्य और आरोपी को समन करने के लिए उपयुक्त मामला था, हमारा विचार है कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं व उच्च न्यायालय और सीजेएम, अलीगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हैं।

12. हालाँकि, हम मजिस्ट्रेट को यह स्वतंत्रता देते हैं कि वह विरोध याचिका को परिवाद के रूप में मानें तथा सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत निर्धारित कानून के अनुसार आगे बढ़ें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और की गई कोई भी टिप्पणी सीजेएम को उपरोक्त यथा अपेक्षित उचित निर्णय लेने में प्रभावित नहीं करेगी।

हेडनोट तैयार कर्ता: अंकित ज्ञान

वाद का परिणाम:

अपील को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।